प्रकाशनार्थ अनुमोदित

एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 89//2006

आवेदक(अनावेदक क्र. 1):

जगन्नाथ, पिता दिर्जो, आयु लगभग 70 वर्ष, जाति कोलता, निवासी ग्राम-खैरखुंटा, तहसील एवं जिला - महासमुंद (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण:

1. डलमो बाई, पति श्रीधर साहू, आयु लगभग 68 वर्ष, जाति - कोलता, निवासी ग्राम जराबहारन, तहसील एवं जिला - महासमुंद (छ.ग.)

.....अपीलार्थी

2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: कलेक्टर महासमुंद, जिला- महासमुंद (छ.ग.)

.....अनावेदक क्र. 2

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण

10-11-2006

आवेदक **जगन्नाथ** के लिए श्री मनोज परांजपे, विद्वान अधिवक्ता सहित श्री वैभव गोवर्धन, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से श्री सुनील साहू, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से श्री अखिल अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन पर, इस सिविल पुनरीक्षण का आज ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही अंतिम रूप से निराकरण किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक/वादी जगन्नाथ ने डलमो बाई और छत्तीसगढ़ राज्य के विरुद्ध घोषणा एवं स्थायी व्यादेश हेतु व्यवहार वाद क्रमांक 31-अ/2003 संस्थित किया था। उक्त व्यवहार वाद में, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी डलमो बाई अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो रही थीं। आवेदक के अनुसार दिनांक 05-11-2003 को पूर्वोक्त व्यवहार वाद वादी के साक्ष्य लेखबद्ध करने हेतु नियत था। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी डलमो बाई दिनांक 05-11-2003 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुईं, परंतु उनके अधिवक्ता द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया, जिन्होंने कोई निर्देश प्राप्त न होने का अभिवचन किया। परिणामस्वरूप, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, महासमुंद ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी डलमो बाई के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की तथा दिनांक 18-11-2003 को डलमो बाई के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। दिनांक

25-03-2004 को, डलमो बाई ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-9 नियम-13 के अंतर्गत एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को इस आधार पर अपास्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया कि उसने अपने पति श्रीधर के पक्ष में एक मुख्तारनामा निष्पादित किया था, जो व्यवहार वाद में उनकी ओर से उपस्थित हो रहे थे। श्रीधर दिनांक 31-10-2003 से 20-03-2004 तक मलेरिया के कारण बीमार थे। यहाँ वादी/आवेदक ने पूर्वोक्त आवेदन का विरोध किया। आदेश दिनांक 23-12-2004 के द्वारा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, महासमुंद ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि दिनांक 05-11-2003 को अपीलार्थी डलमो बाई की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं था, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम-13 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। डलमो बाई ने उक्त आदेश के विरुद्ध एक विविध सिविल अपील क्रमांक 01/2005 प्रस्तुत की। आदेश दिनांक 10-05-2006 के द्वारा, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, महासमुंद ने इस आधार पर अपील स्वीकार कर ली कि डलमो बाई 68 वर्ष आयु की एक वृद्ध महिला थीं तथा सुनवाई की तिथि पर उनके पति की बीमारी के आधार एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर भी विचार करते हुए व्यवहार वाद क्रमांक 31-अ/2003 में प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, विविध सिविल अपील क्रमांक 01/2005 को प्रतिवादी द्वारा वर्तमान आवेदक/वादी को 1,000/- रुपये वाद व्यय संदत्त किये जाने के अधीन स्वीकार कर लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वैभव गोवर्धन ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि डलमो बाई ने सुनवाई के तिथि अर्थात दिनांक 05-11-2003 को अपने पति श्रीधर की बीमारी से संबंधित कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 24-09-1991 को डलमो बाई द्वारा अपने पति के पक्ष में दिया गया अभिकथित मुख्तारनामा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। सार रूप में यह आग्रह किया गया कि डलमो बाई दिनांक 05-11-2003 को अनुपस्थित रहने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने में विफल रही थीं। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 1/प्रतिवादी डलमो बाई की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील साहू ने यह आग्रह किया कि डलमो बाई की आयु, यह तथ्य कि उनके अधिवक्ता सुनवाई की तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे, पर विचार करते हुए, प्रतिवादी को अधिवक्ता के उस कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जिसने उनकी ओर से कोई निर्देश प्राप्त न होने का अभिवचन किया। यह भी आग्रह किया गया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश-9 नियम-13 में अंतर्विष्ट उपबंध का उदारतापूर्वक अर्थान्वयन किया जाना चाहिए ताकि सारभूत न्याय को विस्तारित किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के उपरांत, मैंने अभिलेख का परिशीलन किया है। यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता सुनवाई की तिथि अर्थात दिनांक 05-11-2003 को प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,महासमुंद के समक्ष

उपस्थित हुए थे। सिविल पुनरीक्षण की कंडिका-1 भी यह दर्शाती है कि दिनांक 05-11-2003 को व्यवहार वाद वादी के साक्ष्य लेखबद्ध करने हेतु नियत था।

एम.के. प्रसाद विरुद्ध पी. अरुमुगम, 2002 (1) एल.एस.सी.टी. 2 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के आवेदन का विनिश्चय करते समय, न्यायालय को आक्षेपित निर्णय, अंतर्ग्रस्त संपत्ति की सीमा, और पक्षकारों के हित को ध्यान में रखना चाहिए।

उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए आदेश-9 नियम-13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज करते समय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, महासमुंद ने आक्षेपित निर्णय, अंतर्ग्रस्त संपत्ति की सीमा, वाद भूमियों के अपने अंश पर डलमो बाई के अबाधित कब्जे और लंबी पूर्ववर्ती मुकदमेबाजी तथा पक्षकारों के मध्य हित की भी उपेक्षा की। यह सुस्थापित है कि आदेश-9 नियम-13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त शब्द "पर्याप्त हेतुक" की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि सारभूत न्याय प्रदान किया जा सके न कि उसे विफल किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डलमो बाई का यह साक्ष्य कि उसका पति, जो उसके द्वारा निष्पादित मुख्तारनामे के आधार पर प्रकरण का प्रतिनिधित्व कर रहा था, दिनांक 31-10-2003 से 4-5 महीने की अवधि के दौरान बीमार था, पूर्णतः अखंडित है। यह भी निर्धारित किया गया कि डलमो बाई वाद भूमियों के आधे भाग के

कब्जे में थीं और अस्थायी व्यादेश जारी करके डलमो बाई को अवरुद्ध करने के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया था।

उपरोक्त तथ्यपूर्ण स्थिति और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि प्रतिवादी 68 वर्ष आयु की एक वृद्ध और निरक्षर महिला थीं और प्रत्येक सुनवाई पर अधिवक्ता द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा था और इस तथ्य पर भी कि उसके अधिवक्ता दिनांक 05-11-2003 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे और अचानक ही ऐसे कारणों से जो उन्हें ही बेहतर ज्ञात थे, उन्होंने कोई निर्देश प्राप्त न होने का अभिवचन किया, मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 10-05-2006 नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है। ऐसा कुछ भी उपदर्शित नहीं होता है कि विद्वान प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, महासमुंद ने अवैध रूप से कार्य किया था या कोई तात्विक अनियमितता कारित की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकरण के इस दृष्टिकोण में, यह सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 89/2006 सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही खारिज किया जाता है।

उपरोक्त के आलोक में, स्थगन अनुदत्त करने हेतु एम.(सी.) पी. क्रमांक 1040/2006 भी निराकृत किया गया माना जाता है।

नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की जाये ।

सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur